प्रेस विज्ञप्ति

04-02-2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अशोक कुमार सोनी के खिलाफ 04.02.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। इस मामले में, माननीय न्यायालय ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पूर्व-संज्ञान सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया है।

ईडी ने भोपाल स्थित सीबीआई और एसीबी द्वारा अशोक कुमार सोनी के खिलाफ आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज आपराधिक मामले के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, माननीय विशेष न्यायाधीश, सीबीआई मामले, भोपाल के न्यायालय में दिनांक 15.12.2020 को चार्जशीट संख्या 16/2020 भी दायर की गई।

ईडी की जांच में पता चला कि अशोक कुमार सोनी, जब राजगढ़ जिले (मध्य प्रदेश) के जीरापुर उप डाकघर में उप डाकघर मास्टर के पद पर तैनात थे, तब उन्होंने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और दिसंबर 2016 से मई 2017 की अवधि के दौरान, उन्होंने संचय पोस्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग करके 138 डाक बचत बैंक खातों में पिछली तारीखों की फर्जी जमा प्रविष्टियां बनाईं, जिससे बिना किसी वास्तविक नकद जमा के खातों की शेष राशि(एकाउंट बैलेंस) कृत्रिम रूप से बढ़ गई। फर्जी खाते बनाने और संचय पोस्ट से फिनाकल सिस्टम में खातों को स्थानांतरित करने के बाद, उसने धोखाधड़ी से उन्हीं खातों से कुल 1,23,31,180 रुपये निकाल लिए। इस प्रकार, उसने अपराध से प्राप्त 1,23,31,180 रुपये की रकम अर्जित की। हालांकि, बाद में अशोक कुमार सोनी ने नवंबर और दिसंबर 2017 के दौरान 1,24,44,800 रुपये नकद में चुका दिए।